

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2006/चैत्र 17, 1928(शक)

संख्या- 141

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, उपायुक्त, पश्चिमी जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, डॉ. जगदीश मुखी को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 04.04.2006 को अप. 4.30 बजे, जेल रोड, राजौरी गार्डन चौक, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान से अप. 6.40 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Friday 07th April 2006/ 17Chaitra 1928

No. 141

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, West Distt., Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Jagdish Mukhi, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from Jail Road, PS Rajouri Garden, Delhi at 4.30 P.M. on 04.04.2006.

He was released at 6.40 P.M.. from the same place on the same date."

Siddharath Rao
Secretary